(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 195/2015

बउनवान

कन्हैयालाल आयु 55 वर्ष पुत्र देवचन्द जाति गुर्जर निवासी कूण्डी तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबडा जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 20.08.2019

अपीलांट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 1132/2015 के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 1.10.2015 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम कुण्डी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2072 में खसरा नम्बर 339 की रकबा 1 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 30 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं तावान राशि 50/– रूपये से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 20.11.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण माह नवम्बर 2015 में दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय, छबडा से मूल पत्रावली 09 बार तलब किये जाने के बाद भी प्राप्त नही होने पर पत्रावली में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय, छबडा द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण में अंतिम बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना कोई इत्तिला दिये बिना ही व बिना किसी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने मे कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सजायाब किया गया है अन्य किसी प्रकार का अपीलांट के पक्ष मे कोई साक्ष्य नही होने पर भी अपीलांट को अतिक्रमी माना है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय काबिले खारिज है। अपीलांट गरीब काश्तकार बाल बच्चेदार व्यक्ति है जिसका उक्त विवाद ग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नही है। अपीलांट द्वारा तावान की राशि भी जमा करवा दी है तथा उक्त भूमि से कब्जा भी छोड दिया है।

अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय, छबडा द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी थाना छबडा द्वारा जर्ये वारन्ट तलब करने पर हुई। इसके बाद प्रार्थी ने नकल प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलांट को दिनांक 3.11.2015 को नकल मिलने की दिनांक से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत कर अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा दण्डित किया जाकर मौके पर सम्वत् 2071 मे भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर, पुनः अतिक्रमण नही किये जाने हेतु पाबन्द किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2072 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण मे अतिक्रमित रकबा कम है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय से 9 बार मूल पत्रावली तलब किये जाने के उपरांत भी इस न्यायालय मे नही भिजवाया जाना अधीनस्थ न्यायालय की त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 1132/2015 में पारित आदेश दिनांक 1.10.2015 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार छबडा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की 2 बार जॉच करावे कि अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम कुण्डी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 339 की रकबा 1 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर कब्जा नही पाया जावे, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 1132/2015 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 1.10.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.10.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.09.03 15:29:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: